International Journal of Social Science and Humanities
www.humanitiesjournals.com
Online ISSN: 2664-8628 Print ISSN: 2664-861X
Received: 01-02-2023, Accepted: 03-03-2023, Published: 18-03-2023
Volume 5, Issue 1, 2023, Page No. 107-109

भूमण्डलीकरण और भारतीय शिक्षा पद्धति

डॉ. बलभद्र प्रसाद देवांगन[1], डॉ. पुष्पा देवांगन[2]
[1] प्राचार्य एवं विभागाध्यक्ष, अर्थशास्त्र विभाग, अशोका महाविद्यालय, उम्मेदपुर, सारंगढ़, छत्तीसगढ़, भारत
[2] प्राचार्य एवं विभागाध्यक्ष, अर्थशास्त्र विभाग, के. पी. महाविद्यालय, बंधापाली सारंगढ़, छत्तीसगढ़, भारत

सारांश
भूमण्डलीकरण (Globalization) शब्द का उपयोग अकादमिक, व्यावसायिक एवं वाणिज्यिक क्षेत्र में नया नहीं है। आज इसके अभिप्राय से सभी भिज्ञ है। साधारण शब्दों में यह एक विश्वस्तरीय आर्थिक व्यवस्था है जिसके अंतर्गत विश्व के सभी देशों की अर्थव्यवस्था विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत हो जाती है। भारतीय संदर्भ में इसका अर्थ विदेशी कंपनियों एवं विश्व व्यापार संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन को भारत में स्वतंत्र व्यापार की अनुमति देना तथा भारतीय कंपनियों के साथ सहयोग करने एवं विदेशों में संयुक्त योजनाएं चलाने के लिए प्रोत्साहित करना है, इसके साथ ही अनेक क्षेत्रों से प्रतिबंधों को मुक्त कराया जाना है। भूमण्डलीकरण के भारतीय शिक्षा पद्धति पर सकारात्मक एवं नकारात्मक, दोनों ही प्रभाव परिलक्षित हुए हैं तथा आवश्यकता है सकारात्मक पक्षों को अधिक उभारने की आवश्यकता है।

मूलशब्दः भारतीय शिक्षा पद्यति, भूमण्डलीकरण, गुणवत्तायुक्त रोजगार, विश्व व्यापार संगठन

भूमण्डलीकरण (Globalization) शब्द का उपयोग अकादमिक, व्यावसायिक एवं वाणिज्यिक क्षेत्र में नया नहीं है। आज इसके अभिप्राय से सभी भिज्ञ है। साधारण शब्दों में यह एक विश्वस्तरीय आर्थिक व्यवस्था है जिसके अंतर्गत विश्व के सभी देशों की अर्थव्यवस्था विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत हो जाती है। भारतीय संदर्भ में इसका अर्थ विदेशी कंपनियों एवं विश्व व्यापार संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन को भारत में स्वतंत्र व्यापार की अनुमति देना तथा भारतीय कंपनियों के साथ सहयोग करने एवं विदेशों में संयुक्त योजनाएं चलाने के लिए प्रोत्साहित करना है, इसके साथ ही अनेक क्षेत्रों से प्रतिबंधों को मुक्त कराया जाना है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक धर्म निरपेक्ष समाजवादी गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को न्याय (सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक) स्वतंत्रता (विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म उपासना) समानता (प्रतिष्ठा एवं अवसर) मातृत्व (व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को सुनिश्चित करने वाले अधिकार दिये जाने का उल्लेख है, ये हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य हैं) इन राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए शिक्षा को एक सशक्त माध्यम माना गया और यह सत्य भी है, क्योंकि प्रत्येक राष्ट्र ने अपनी अद्वितीय सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक अभिव्यक्ति के लिये अलग–अलग राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का विकास किया है।

भूमण्डलीकरण के पश्चात् शिक्षा का महत्व

हम 21वीं शताब्दी में प्रवेश कर चुके है। इस शताब्दी का श्रीगणेश एवं स्वागत अत्यंत विस्मयकारी चमत्कारी चमत्कारों से परिपूर्ण उन्नत सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा किया गया। वैज्ञानिक अविष्कारों, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार क्रांति ने जहां एक ओर सम्पूर्ण विश्व को एक वैश्विक ग्राम (Global Village) का स्वरूप प्रदान किया है, वहीं दूसरी ओर ज्ञान–विज्ञान, शिक्षण–प्रशिक्षण एवं व्यापार–वाणिज्य से लेकर विश्व आर्थिक–सामाजिक व्यवस्था को नवीनतम आयाम और ऊंचाईयां प्रदान की है। ऐसी परिस्थितियों में उभरती आर्थिक–सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप मानव को गढ़ने की आवश्यकता है, जोकि शिक्षा के माध्यम से ही संभव है। भारतीय शिक्षा–पद्धति में ऐसे गुणात्मक सुधारों के लिए 20वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में ही प्रयास आरंभ कर दिये गये थे। अब वह और तीव्र एवं स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। भूमण्डलीकरण के अंतर्गत उच्च शिक्षा पर विशेष बल दिया जाने लगा।

भूमण्डलीकरण के पश्चात् शिक्षा का विकास

शिक्षा पद्धति को, विशेषकर उच्च शिक्षा को ऐसा स्वरूप दिया जा रहा है ताकि शिक्षा प्राप्त कर व्यक्ति नौकरी खोजने के स्थान पर स्वयं अपना रोजगार अर्थात् व्यवसाय–उद्योग स्थापित कर सके और राष्ट्रीय उत्पादन में अपना योगदान दे सके। वस्तुतः व्यवसायिक शिक्षा शिक्षण व प्रशिक्षण की एक ऐसी पद्धति है जो व्यक्ति को विशिष्ट व्यवसायिक–पेशेवर योग्यता व दक्षता प्रदान करती है, उसका सम्पूर्ण व्यवसायिक पर्यावरण से परिचय कराती है एवं व्यक्ति में ऐसी उद्यमशीलता (Entrepreneurship) जागृत करती है कि उसके आधार पर व्यक्ति स्वयं अपने व्यवसायिक उपक्रम का संस्थापक एवं संचालक बनता है। इससे स्वयं को तो आजीविका प्राप्त होती ही है, दूसरों को भी रोजगार के अवसर उत्पन्न होते हैं। इस तरह वह राष्ट्र के उत्पादन एवं विकास में सहभागी बनता है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गत 58 वर्षों में हुए संख्यात्मक विकास पर दृष्टिपात करने पर विदित होता है कि 1950–51 में देश में जहां मात्र 27 विश्वविद्यालय थे उनकी संख्या आज बढ़कर 366 हो गई है। राष्ट्रीय महत्व के अन्य संस्थानों को मिलाकर वर्तमान में इनकी संख्या कुल 285 है। इनमें से मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन 18 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं तथा 186 राज्यस्तरीय विश्वविद्यालय है। इनके अतिरिक्त 5 संस्थान राज्य विधायी कानून के अंतर्गत, 89 डीम्ड विश्वविद्यालय एवं 13 राष्ट्रीय महत्व के संस्थान भी इसमें सम्मिलित हैं। आज देश भर में दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत स्थापित 5 महिला विश्वविद्यालयों सहित मुक्त विश्वविद्यालयों की संख्या 11 हो गई है। उच्च शिक्षा प्रदान करने वाले महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या 95.1 लाख तथा शिक्षकों की संख्या लगभग 4 लाख से भी अधिक है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले कुल विद्यार्थियों में महिलाओं की संख्या वर्तमान में 38.1 लाख तक पहुंच गई है जो उच्च शिक्षा में नामांकन का कुल 40 प्रतिशत के करीब है। इससे स्पष्ट होता है कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में महिलाएं तेजी से आकर्षित हो रही हैं जिसे देश के

समन्वित विकास में शुभ संकेतों का सूचक कहा जा सकता है। उक्त विवरण से स्पष्ट है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विशेष रूप से देश में प्राथमिक, माध्यमिक, प्रौढ़ तथा उच्च शिक्षा के साथ–साथ तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा आदि सभी क्षेत्रों में पर्याप्त रूपेण अभिवृद्धि हुई है। आज देश में सी.बी.एस.ई. व आई. सी.एस.ई. पाठ्यक्रम युक्त विद्यालयों, पॉलिटेक्निक संस्थाओं, डिग्री एवं स्नातकोत्तर स्तर की इंजीनियरिंग संस्थाओं, प्रबंधन संस्थाओं, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों आदि सभी स्तरों की संस्थाओं की संख्या, इनमें पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

वर्ष 2002–03 के आरंभ में उच्च शिक्षा में प्रवेश लेने वाले छात्र–छात्राओं की कुल संख्या 88.21 लाख थी जिसमें से 11.66 लाख विद्यार्थी विश्वविद्यालय विभागों तथा 76.55 लाख सम्बद्ध महाविद्यालयों में थे। तकनीकी एवं प्रबंध शिक्षा अब उच्च शिक्षा अथवा रोजगार मूलक शिक्षा का पर्याय बनती जा रही है। देश में तकनीकी संस्थानों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। सन् 1947 में मात्र 46 इंजीनियरिंग कॉलेज और 53 पॉलीटेकनिक कॉलेज थे, जिनमें प्रतिवर्ष 6240 विद्यार्थी ही प्रवेश ले सकते थे, जबकि वर्ष 2001–02 में 838 इंजीनियरिंग/वास्तुशिल्प कॉलेज एवं 1160 पॉलीटेकनिक कॉलेज थे। तदोपरांत विभिन्न योजनावधियों में किये गये प्रयासों और पहल, विशेषतः बड़े पैमाने पर निजी भागीदारी के कारण अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त रोजगारमूलक, तकनीकी तथा प्रबंध संस्थानों की संख्या बढ़कर 4791 हो गई है जिनमें 67 लाख विद्यार्थी प्रवेश ले सकते हैं। यह प्रगति अभी थमी नहीं है अपितु उच्च शिक्षा में वृद्धि करने वाले संस्थानों की संख्या में दिन–प्रतिदिन वृद्धि होती जा रही है। एक अनुमान के अनुसार सम्पूर्ण भारत में तकनीकी एवं प्रबंधन शिक्षा के संस्थानों की संख्या लगभग 10,000 से भी अधिक है जिनमें प्रवेश क्षमता लगभग एक करोड़ विद्यार्थी है। इससे प्रतीत होता है कि राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार मूलक उच्च शिक्षा को काफी प्रोत्साहन दिया जा रहा है तथा इसमें अपेक्षित प्रगति भी हो रही है। अब वह दिन अधिक दूर नहीं होगा जबकि भारतवर्ष में उच्च शिक्षा संस्थान श्रेष्ठ गुणवत्तायुक्त रोजगार मूलक तकनीकी एवं व्यवसायिक शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी होंगे।

भूमण्डलीकरण के पश्चात् शिक्षण क्षेत्र की विसंगतियां

उपरोक्त विवरण का एक नकारात्मक पक्ष भी है कि भूमण्डलीकरण के कारण शिक्षा पद्धति प्रभावित हुई है। यह भी सच है कि मुख्य रूप से विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं से प्रतिवर्ष निकलने वाले लाखों शिक्षित एवं प्रशिक्षित युवाओं को समुचित रोजगार मुहैया कराना भी संभव नहीं हो सका है। व्यावहारिक शिक्षा के स्थान पर सैद्धांतिक और उद्देश्यविहीन शिक्षा, बोझिल पाठ्यक्रम, अविश्वसनीय परीक्षा प्रणाली, शैक्षिक स्तरों में गिरावट, प्रत्येक स्तर पर संसाधनों का अभाव जैसी अनेक समस्याओं ने शिक्षाविदों, शिक्षकों, विद्यार्थियों, प्रशासकों, योजनाविदों, अभिभावकों और राजनेताओं के समक्ष एक चुनौती प्रस्तुत की है। हमारी वर्तमान शिक्षा पद्धति एवं अध्ययन सामग्री (विषय) में अनेक कमियां है इसके उपरांत भी शिक्षण संस्थाओं की संख्या दिन–प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है जिनमें अच्छा गुणवत्तायुक्त अध्ययन–अध्यापन नहीं हो रहा है, यह अत्यंत गंभीर एवं चिंताजनक बात है। भारत में उच्चशिक्षा को व्यवसायिक बनाने के उद्देश्य से सरकार अधिकाधिक करों का बोझ सामान्य जनता पर डालती है किंतु कर के रूप में जो राजस्व सरकार प्राप्त करती है और उसका उपयोग उच्च शिक्षा के क्षेत्र में किया जाता है, उसका उतने ही अनुपात में उपयोग सामान्य जनता के हित में नहीं हो पाता क्योंकि9 सभी प्रकार की शिक्षा, चाहे वह स्कूली शिक्षा हो अथवा व्यवसायिक/उच्च शिक्षा, यह अत्यंत महंगी और निम्न आय वर्ग के लिए लगभग दृष्कर प्रतीत होती है। यद्यपि शिक्षा के विकास व विस्तार हेतु वित व्यवस्था शासन द्वारा की जाती है तथापि अधिकांश शिक्षण संस्थान या तो निजी हैं या स्ववित्तपोषित शासकीय शिक्षण संस्थान है जिनमें प्रवेश व शिक्षण शुल्क इतना अधिक होता है कि निम्न आय अर्थात् निर्धन वर्ग अपने बच्चों को अध्ययन करा पाने में स्वयं को असमर्थ पाता है। भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थापना के लगभग डेढ़ शताब्दी बाद अब अगर हम उन पर दृष्टिपात करें तो मन में यह बात उठे बिना नहीं रहती कि उनके इर्द–गिर्द जो अनगिनत तथा अनूठे अवसर बिखरे पड़े हैं, उनके अनुरूप वे अपने आपको ढाल नहीं पाए। अभी तक बड़े आयोग तथा कई समितियां नियुक्त हो चुकी हैं फिर भी वे अभी तक अपने आपको अपने संक्षिप्त इतिहास के जाल से मुक्त नहीं कर पाए हैं। वे अभी भी परीक्षा–संस्थाएं हैं और उनके छात्र स्वभावतः परीक्षा की सफलता को स्नातक पूर्व जीवन का चरम लक्ष्य मानते हैं। विश्वविद्यालयों की संख्या दिन–रात बढ़ती जा रही है परंतु अन्य देशों की अपेक्षा उनके स्तर ऊपर नहीं उठ रहे हैं और यह जो है सो है ही, इससे भी गंभीर बात यह है कि विश्वविद्यालय आज भी विदेशी पौधे बने हुए हैं–नवीन भारत से आज भी उनका सामंजस्य नहीं हो पाया है। उच्च शिक्षा के संबंध में एक विशेष बात यह है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय में उसका संख्यात्मक विकास अत्यंत त्वरित गति से हुआ है। साथ ही, द्वितीय विशेष बात यह है कि उसका विकास आदि से अंत तक अनियोजित रहा है। परिणामतः शिक्षा का स्तर गिर गया है, छात्रों में ज्ञानार्जन की अभिलाषा नष्ट हो गई है, शिक्षित व्यक्तियों के समक्ष बेरोजगारी की समस्या उपस्थित हो गई है, और सर्वोपरि यह शिक्षा–देश की वर्तमान एवं भावी आवश्यकताओं को पूर्ण करने में असमर्थ हो गई है। शिक्षा को अधिक उदार और रोजगार सृजन करने वाली शिक्षा पद्धति के रूप में विकसित करने के लिए प्राचीन काल से ही अनेक उच्च समितियां और आयोग गठित किए जाते रहे हैं। इनकी अनुशंसाओं और प्रतिवेदनों के आधार पर शिक्षाविद् नवीन शिक्षा पद्धतियों को गढ़ते रहे हैं तथापि शिक्षा को एक सार्थक व्यवसायिक शिक्षा पद्धति के रूप में अभी तक प्रतिपादित नहीं किया जा सका है। भारतीय शिक्षा पद्धति रोजगारमूलक कम, उपाधिमूलक अधिक है। शासन द्वारा प्रायः शिक्षा में गुणात्मक सुधार की बात की जाती रही है। विद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के लिए अलग से बोर्ड एवं अनुदान आयोग हैं। देश में अनेक विद्यालय प्रतिष्ठित हैं, साथ ही कई विश्वविद्यालय ऐसे हैं जिन्हें केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त है। शासन द्वारा समय–समय पर अनेक समितियां गठित की जाती रही हैं जो शिक्षा में सुधार के लिए अपनी अनुशंसाएं देती हैं लेकिन कुल मिला कर सारी कवायद अनुदान आबंटन पाठ्यक्रम में फेर–बदल तक सीमित रह जाती है। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए कोई ठोस कदम सामने नहीं आया है। भारत में शिक्षा के प्रमुख अवयव हैं विद्यालय, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और उच्च शोध संस्थान। इनमें विद्यालयों व विश्वविद्यालयों की भूमिका मूलतः अकादमिक है। ये उपाधियों के लिए पाठ्यक्रम निर्धारण, अध्यापन दिवस और परीक्षा आयोजित कराने की प्रमुख एजेंसी हैं। दूसरे अवयव के रूप में शासकीय और अशासकीय महाविद्यालय आते हैं। यहां स्थिति सर्वाधिक शोचनीय है। तमाम अभावों और आधे–अधूरे संसाधनों के साथ महाविद्यालयों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे शिक्षा के स्तर पर अच्छी प्रतिभाओं का विकास कर सकें। हालांकि विश्वविद्यालय और महाविद्यालय दोनों ही उच्च शिक्षा से सीधे जुड़े अवयव हैं, लेकिन दोनों की संरचना और उपलब्ध संसाधनों में भारी अंतर है। विश्वविद्यालयों में शोध को प्रमुखता दी जाती है, जबकि संबद्ध महाविद्यालय पूरे समय आर्थिक, संरचनागत और कर्मचारियों की समस्या से ही जूझते रहते है। विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के छात्र–शिक्षक अनुपात में भी

भारी अंतर है। विश्वविद्यालयों में जहां प्राध्यापकों के पास अध्यापन के लिए कोई काम नहीं है, वहीं महाविद्यालयों में डेढ़ सौ छात्रों पर एक शिक्षक है। देश में शासकीय विद्यालयों व महाविद्यालयों में हजारों अध्यापकों व प्राध्यापकों के पद रिक्त हैं और उनके स्थान पर अस्थायी शिक्षकों को प्रति–मानदेय के आधार पर नियुक्त किया जाता है। ऐसी व्यवस्था के चलते क्या हमें शिक्षा पद्धति से किसी गुणवत्ता की अपेक्षा करनी चाहिए ? शिक्षा पद्धति इस प्रकार की होनी चाहिए कि व्यक्ति अपनी शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात् स्वयं रोजगारयुक्त हो जाए अर्थात् शिक्षा रोजगारमूलक होनी चाहिए। विश्वविद्यालयों अथवा महाविद्यालयों से उच्च शिक्षा की उपाधि लेकर यदि कोई नवयुवक रोजगार के लिए भटकता है या उसे अपनी योग्यतानुसार रोजगार या उद्यम दे पाने में शिक्षा समक्ष नहीं है तो ऐसी शिक्षा अर्थहीन है।

समस्याओं के निराकरण हेतु सुझाव

उपरोक्त समस्याओं के हल हेतु मात्र आयोगों और समितियों के गठन और उनसे सुझाव प्राप्त कर लेने भर से काम नहीं चलेगा, न ही शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिवर्ष नाममात्र भर का वित्तीय परिव्यय बढ़ा देने से शिक्षा के क्षेत्र में व्याप्त सारी समस्याओं का समाधान हो पाएगा, बल्कि आवश्यकता है इसमें व्याप्त बुराइयों और कठिनाइयों का सूक्ष्मता से अध्ययन कर दीर्घकालीन नियोजन, राजनैतिक, प्रशासकीय दृढ़ इच्छाशक्ति, जन–सहयोग और जनकल्याण की भावना से सभी संबंधित व्यक्तियों द्वारा अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन किये जाने की। अतः इसके लिए समुचित वातावरण निर्मित करने पर विशेष बल दिया जाना चाहिए, तभी हम विश्वस्तरीय नागरिकों का निर्माण करने में सक्षम हो सकेंगे। हमारी शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने हेतु, शिक्षा को राष्ट्रीय–अंतर्राष्ट्रीय मांग के अनुरूप गढ़ना होगा। पाठ्यक्रमों को अद्यतन एवं उच्च गुणवत्तापूर्ण बनाना होगा। गुणवत्ता को वचनबद्धता, जवाबदेयता एवं उत्तरदायित्व की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए। इस हेतु हम सबका, प्रत्येक का एवं सरकारों का दायित्व है।

निष्कर्ष

भूमण्डलीकरण के भारतीय शिक्षा पद्धति पर सकारात्मक एवं नकारात्मक, दोनों ही प्रभाव परिलक्षित हुए हैं तथा आवश्यकता है सकारात्मक पक्षों को अधिक उभारने की जो उपरोक्त सुझावों को अपनाकर सम्भव किया जा सकता है। भूमण्डलीकरण (Globalization) शब्द का उपयोग अकादमिक, व्यावसायिक एवं वाणिज्यिक क्षेत्र में नया नहीं है। आज इसके अभिप्राय से सभी भिज्ञ है। साधारण शब्दों में यह एक विश्वस्तरीय आर्थिक व्यवस्था है जिसके अंतर्गत विश्व के सभी देशों की अर्थव्यवस्था विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत हो जाती है। भारतीय संदर्भ में इसका अर्थ विदेशी कंपनियों एवं विश्व व्यापार संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन को भारत में स्वतंत्र व्यापार की अनुमति देना तथा भारतीय कंपनियों के साथ सहयोग करने एवं विदेशों में संयुक्त योजनाएं चलाने के लिए प्रोत्साहित करना है, इसके साथ ही अनेक क्षेत्रों से प्रतिबंधों को मुक्त कराया जाना है।

संदर्भ सूची

1. ओड़ एल.के., शैक्षिक प्रशासन, राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, जयपुर (राजस्थान), (1991)
2. आयोजना, भारत–2006, पृष्ठ–635
3. श्रोत्रिय निरंजन, ''उच्च शिक्षा निम्न स्तर'', आलेख, जनसत्ता–दैनिक, नई दिल्ली, दिनांक 6 दिसंबर 2007, पृष्ठ 06
4. त्यागी गुरूसरनदास, भारतीय शिक्षा का परिदृश्य, अग्रवाल पब्लिकेशन, आगरा (उ.प्र.) 2007, पृष्ठ 316–320
5. अग्रवाल उमेशचंद्र, ''भारतीय आधुनिक शिक्षा के बदले आयाम'', आलेख, कुरूक्षेत्र, नई दिल्ली, सितंबर, 2006, पृष्ठ–14
6. Chitrasen, Vocational & Technical Education in 21st Century, Alfa Publication, New-Delhi, 2007, Pg. 136
7. Dash U.N., "Attainment of Excellence Through Higher Education", Universal Education, A Magazine of Higher Education, Vol. -1, Issue-4, March 2007, Pg. 52
8. Patil L.A., "Higher Education : Challenges, Excellence & Future", an article published in UNIVERSITY-NEWS, Weekly Journal, AIU, New-Delhi, Vol.-40, No.27, July 8-14, 2002, Pg. 12